उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल गोमती नगर,
लखनऊ- 226010

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन हेतु FAQ

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या मै एक बार में ही फार्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता हूँ ?	हाँ, आप एकबार में ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकतें हैं, जिसके निम्नवत 5 चरण है - I. कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration) II. फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड़(Photo and Signature Upload) III. फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form) IV. फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment & Submit Application Form) V. फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)
2	अगर आवेदन पत्र भरते समय किसी चरण के दौरान आवेदन पत्र अधूरा छूट जाता है ?	आयोग की वैबसाइट पर Applicant Segment के अंतर्गत आवेदक संबन्धित बटन पर क्लिक कर अपना आवेदन पूर्ण कर सकते है। यह Segment संबन्धित विज्ञापन के लिए उस विज्ञापन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा।
3	क्या फार्म Submit करने के बाद डाटा में किसी प्रकार का सुधार सम्भव है ?	अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करने एवं अपना फार्म Submit करने के बाद विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा अंतिम तिथि के बाद अधिकतम एक सप्ताह के भीतर **एक बार अपने फार्म में संशोधन कर सकतें हैं।** अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म सबमिट करने के उपरांत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर तथा कैटेगरी में कोई संशोधन नहीं हो सकता है।
4	क्या कैटेगरी में कोई बदलाव किया जा सकता है ?	यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी है इस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी फीस जमा करने के पहले ही अपनी कैटेगरी में बदलाव कर सकता है।

		शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी में बदलाव नहीं कर सकता है।
5	Finally Submitted फार्म में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी ?	अभ्यर्थी बेबसाइट http://upsssc.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर Modify Submitted Application पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरान्त जब Login करेगा तो उसके Registered mobile Number तथा Email पर एक OTP (One Time password) जायेगा इस OTP की सहायता से उसका भरा हुआ फार्म खुलेगा तथा अभ्यर्थी अपने फार्म के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, **परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email तथा आधार नम्बर तथा कैटेगरी में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता।**
6	**मै Finally Submit फार्म में कितनी बार संशोधन कर सकता हूँ ?**	**अभ्यर्थी विज्ञापन की अंतिम तिथि के बाद एक सप्ताह के अंदर केवल एक बार ही अपना फार्म संशोधित कर सकता है।**
7	मैने फार्म भरकर फीस जमा कर दी है परन्तु अपने फॉर्म में संशोधन अथवा फॉर्म का प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ।	यदि अभ्यर्थी के द्वारा शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहा है तो आप आयोग की वेवसाइट http://upsssc.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment में दिये गये लिंक **Update your transaction ID by Double Verification mode** पर क्लिक कर विज्ञापन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह बाद तक किसी भी दशा में अवश्य प्रिंट कर ले। आवेदन पत्र में संशोधन विज्ञापन की अंतिम तिथि के एक सप्ताह के भीतर तक ही अनुमन्य होगा।
7	मै उ0प्र0 का मूल निवासी नहीं हूँ क्या मुझे आरक्षण का लाभ मिलेगा ?	आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। अन्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अर्न्तगत आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को लंबवत अथवा क्षैतिज आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
8	डोमेसाइल में NO करने पर श्रेणी में केवल जनरल ही प्रर्दशित होता है। ऐसा क्यों ?	आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। डोमेसाइल में NO होने की अवस्था मे आपको किसी भी प्रकार का लंबवत अथवा क्षैतिज आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अत: केवल जनरल ही प्रदर्शित होगा।
9	फार्म भरने से पूर्व क्या तैयारी करे ?	फार्म भरने से पूर्व आप अपने Certificate/Mark Sheet अवश्य रख ले ताकि वैबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में वांछित सूचना भर सके। साथ ही निर्धारित फॉर्मेट में फोटो तथा हस्ताक्षर अवश्य स्कैन करके रख ले।
10	फोटो तथा हस्ताक्षर किस फॉर्मेट में तथा कितने आकार के स्कैन करें ?	अभ्यर्थी अपना 3.5 cm चौड़ा व 4.5 cm लम्बा रंगीन फोटोग्राफ (हस्ताक्षर सहित) (*.jpe,*.jpeg,*.jpg,*) प्रारूप

		में स्कैन करें जिसका न्यूनतम आकार 05 Kb तथा अधिकतम आकार 30 KB से कम होना चाहिए। **हस्ताक्षर 1.5 cm लंबा तथा 3.5 cm चौड़ा होना चाहिए।**
11	अभ्यर्थी Registration करते समय क्या-क्या सावधानी बरते ?	अभ्यर्थी सबसे पहले विज्ञप्ति / आवेदन-पत्र भरने हेतु विस्तृत निर्देश का विधिवत अध्ययन कर लें तथा Registration Form में नाम / पिता का नाम / माता का नाम / सिटीजन / जेन्डर / डोमेसाइल / कैटेगरी /जन्म तिथि आदि सही-सही भरें।
12	अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान किस प्रकार करें ?	अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card / Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से बेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकता है। **अन्य किसी माध्यम से किए गए शुल्क का भुगतान मान्य नहीं होगा।**
13	मैने Credit card/Debit card, Internet Banking या ई-चलान में से किसी एक माध्यम से निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया। मुझे Transaction ID प्राप्त हो गयी है, परन्तु System ने मुझे शुल्क का सफल भुगतान करने के उपरान्त स्वत: अगले पेज पर Direct नहीं किया मैं क्या करू ?	कभी कभी ऐसा System पर अधिक Load होने के कारण हो जाता है इस अवस्था में आप वेवसाइट http://upsssc.gov.in के मुख्य पृष्ठ पर Applicant Segment में दिये गये लिंक **Update your transaction ID by Double Verification mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकतें है।
14	OBC,SC & ST का प्रमाण पत्र किस अवधि का निर्गत होना चाहिये।	OBC,SC & ST का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र सबमिट करने की अन्तिम तिथि तक निर्गत होना चाहिये। अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
15	केन्द्र सरकार की सेवाओं के लिये निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनुमन्य है कि नहीं ?	**नहीं,** केन्द्र सरकार की सेवाओं के लिये निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनुमन्य नहीं है। केवल उ0प्र0 सरकार की सेवाओं के लिये निर्धारित प्रारूप पर निर्गत श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र अनुमन्य है।
16	मैने जिस बोर्ड से परीक्षा पास की है उसका नाम Drop down menu में नहीं है। मैं क्या करू ?	Drop down menu में सबसे नीचे option OTHER BOARD दिया हुआ है, आप उसका चयन करें तथा अपने बोर्ड का नाम Type करें।
17	i. वह फोटो जो अपलोड की हैं मुझे कब तक सुरक्षित रखनी होगी ?	परीक्षा के समय आपको यह फोटो लानी होगी व अंतिम चयन होने पर भी इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
	ii. Domicile प्रमाण पत्र के संबंध मे जानकारी दें।	Document verification के दौरान वे अभ्यर्थी जो चयनित होंगे व जिन्होने उ०प्र०का निवासी दर्शित किया है उन्हे उ०प्र०का Domicile certificate दिखाना अनिवार्य होगा।

	Iii. शैक्षिक अर्हता कब तक की मान्य हैं- आवेदन करते समय या परीक्षा या जॉइनिंग के समय?	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदक प्रत्येक परिस्थिति मे आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित कर लेना अनिवार्य हैं।
	iv. विकलांगता की कौन-कौन सी श्रेणी अनुमन्य हैं?	प्रत्येक पद हेतु विभाग द्वारा विकलांगता की अलग-अलग श्रेणिया अधिसूचित हैं कृपया विकलांग अभ्यर्थी आवेदन भरने के पूर्व सुनिश्चित कर ले की आवेदक उसी श्रेणी का हैं जिस श्रेणी हेतु वह पद चिन्हित है ।
	v. गलत सूचना देकर आवेदन भरने पर क्या कोई दंडात्मक प्रावधान है?	हाँ, आपको आयोग द्वारा संबधित परीक्षा व आयोग की अन्य सभी परीक्षायो से तीन वर्ष के लिए debar किया जा सकता है।